

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा

वाद वादी वकील श्री D.S.G. द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

1. वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है।
2. वाद श्रवणाधिकार क्षेत्र का है।
3. नियमानुसार कोर्ट फीस पर है।
4. प्रतिवादी पक्ष का पूर्ण पता अंकित है।
5. प्रतिवादी पक्ष के पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की है।
6. पर्याप्त हेतुक दर्शाया गया है।
7. वाद पात्र के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें पेश है। E

हस्ताक्षर लिपिक

4-1-16 वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जयें सम्मन तलब किया जायें।  
पत्रावली वाले जवाब दिनांक 22-1-16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
अकलेरा (आवासीय)

22-1-16 ~~जमानत जेरी डूरी वकील वादी उपस्थिति~~  
~~प्रतिवादीगण अजयूय तलब, डेपुटा-अपिस्टेट~~  
~~कारण उनके तौर पर एक वापस जमानत~~  
~~डेपुटा-अपिस्टेट जमानत वाले तौर पर~~  
~~एक वापस के दिनांक 26-1-16 को पेश हो~~

उपखण्ड अधिकारी  
अकलेरा (आवासीय)

26-1-16 पत्रावली 810 दिनांक 16-1-17 पेय हो

16-1-17 जमानत डे. दिनांक 6-2-17 को पेश हो

06-2-17 जमानत डे. दिनांक 06-2-17 को पेश हो

6/3/17 पत्रावली 810 दिनांक 10/4/17 पेय हो

29/07/24 घरावली छे उरि करील करीतु उपाचार करील  
 मनुषीपुत्र करील का) गवाड छे री/ करील  
 वाच्य री १६ का) रिउ २९/०७/२४

अखण्ड अधिकारी  
 अकलेरा (झालावाड)

29/07/24 घरावली छे उरि करील करीतु उपाचार करील का)  
 उरि उपरि करि २३ करील १ पाण (सिक्कि)  
 छे: कर पुग) वाच्य उरि करि री मनुषी छे  
 साय वाच्य रिउ करि वाच्य छे रिउ रिउ करि  
 करील उरि करि उरि NO-objection रिउ करि  
 उरि करि करि करि पाण छे। पुग) वाच्य उरि  
 करि री मनुषी छे साय वाच्य रिउ रिउ पाण  
 छे घरावली उरि वाच्य करील करील करील  
 छे: करि छे करि

अखण्ड अधिकारी  
 अकलेरा (झालावाड)